

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 187 / 2024 GCMS 2024/340

**वादीगण :-**

1. चन्द्राराम पुत्र दयालाराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील कुचामन सिटी
2. धन्नाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी

**प्रतिवादीगण :-**

1. भागूराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर
2. रामूराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर
3. हीराराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर के कायम मुकाम  
3/1 राधा देवी पत्नी हीराराम  
3/2 बनवारी पुत्र हीराराम  
3/3 लिछमण पुत्र हीराराम  
3/4 आशुराम गुर्जर पुत्र हीराराम  
3/5 भगवती देवी पुत्री हीराराम  
3/6 राजु देवी पुत्री हीराराम जाति समस्त गुर्जर निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
5. उप पंजीयक अधिकारी तहसील कुचामन सिटी
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

**दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन, रेकॉर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :- श्री बिरमाराम चौधरी वादीगण की ओर से

श्री भीकमचंद प्रतिवादीगण की ओर से

-:निर्णय :-

दिनांक :- 18/03/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि यह है कि मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरा नम्बर 11/2 हिस्सा 6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 ता 3 के साथ आया हुआ है। वादपत्र के साथ जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। उपरोक्त खसरा नं. कि भूमि वादीगण अपने 1/8, 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को निर्वाद




कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

रूप से काश्त करते आ रहे हैं तथा अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर, सीव कायम कर काश्त करते आ रहे हैं। उपरोक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने अपने बट व हक हिस्से की भूमि को आपसी सहमति से कई वर्षों से बाट कर बंटवारा कर रखा है जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि आपसी सहमति से भू-विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर नीव सीव कायम कर अपनी सुविधानुसार काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण उपरोक्त खसरा नं. की भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा की भूमि के काबिज खातेदार हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 अपनी सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से कई वर्षों पूर्व से भू-विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। मौके पर आपसी सहमति से वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर उपजाऊ बना रखी है एवं अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर बाड़, तारबन्दी इत्यादि कर काश्त करते आ रहे हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजीत होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में समस्या आती है। इसलिए वादीगण को भू विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। जिसका वह अधिकारी है। खसरा नं. 58 की भूमि में वादीगण की कृषि भूमि में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व नजरी नक्शे में स्थान A व B पर अंकित है। बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर separate holding करवाना चाहते हैं। जिससे भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। नजरी नक्शे वाद पत्र का एक भाग समझा जाये। वादीगण मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे में स्थान A व B पर अंकित अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम कराना चाहता है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार व प्रतिवादीगण संख्या 4 रहने होने से तथा प्रतिवादी संख्या 5 उप पंजीयक होने से व प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होने से औपचारिक पक्षकार है।

इस्तदुआ वादीगण की निम्न प्रकार है:-

मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे में स्थान A व B पर अंकित अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जी कुचामन सिटी को प्रदान करावे इस आशय की डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाये। मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा की मौके पर कब्जा काश्त में उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलबाजी न तो प्रतिवादीगण स्वम करे तथा न ही किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 से 06 अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 के फौत हो जाने के कारण वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रतिवादी संख्या 03 हीराराम के स्थान पर उनके कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 3/1 राधा देवी, 3/2 बनवारी, 3/3 लिछमण, 3/4 आशुराम, 3/5 भगवती, 3/6 राजु को पक्षकार संयोजित किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 द्वारा वाद पत्र में राजीनामा पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीगण संख्या 02 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा भूमि आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 2 व 3 के वारिस लोक अदालत की भावनाओं से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। जिसका नजरी नक्शा राजीनाम के साथ संलग्न है। जिसको राजीनामा का ही भाग समझा जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान् में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 2 व 3 के वारिसों के उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश जरिए राजीनामा फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)

आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 का 1/8 हिस्सा, वादीगण सं. 2 का 1/2 हिस्सा की मौके पर कब्जा काश्त में उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की दखलबाजी न तो प्रतिवादीगण स्वम करे तथा न ही किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहकवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 से 06 अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 के फौत हो जाने के कारण वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रतिवादी संख्या 03 हीराराम के स्थान पर उनके कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 3/1 राधा देवी, 3/2 बनवारी, 3/3 लिछमण, 3/4 आशुराम, 3/5 भगवती, 3/6 राजु को पक्षकार संयोजित किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 द्वारा वाद पत्र में राजीनामा पेश कर कथन किया कि मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीगण संख्या 02 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा की कब्जासुदा, खातेदारीसुदा भूमि आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 2 व 3 के वारिस लोक अदालत की भावनाओं से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। जिसका नजरी नक्शा राजीनाम के साथ संलग्न है। जिसको राजीनामा का ही भाग समझा जावे। उपरोक्त खसरा नम्बरान् में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 2 व 3 के वारिसों के उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश जरिए राजीनामा फरमाया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टेयर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डी.ड.वा.मा. कुचामन)

हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित प्रकार से वाद अंतिम डिक्री किया जाता है :-

**-: आदेश :-**

मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार I R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (डी.ड.वा.न.) कुचामन

डिक्री मुकदमा इब्लेदाई  
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार I, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 187/2024 GCMS 2024/340

**वादीगण :-**

1. चन्द्राराम पुत्र दयालाराम जाति मेघवाल निवासी खरेश तहसील कुचामन सिटी
2. धन्नाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी

**प्रतिवादीगण :-**

1. भागूराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर
2. रामूराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर
3. हीराराम पुत्र मूलचन्द जाति गुजर के कायम मुकाम  
3/1 राधा देवी पत्नी हीराराम  
3/2 बनवारी पुत्र हीराराम  
3/3 लिछमण पुत्र हीराराम  
3/4 आशुराम गुर्जर पुत्र हीराराम  
3/5 भगवती देवी पुत्री हीराराम  
3/6 राजु देवी पुत्री हीराराम जाति समस्त गुर्जर निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी
4. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी
5. उप पंजीयक अधिकारी तहसील कुचामन सिटी
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी

**दावा इस्तकरार हक व भू-विभाजन, रेकर्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी, श्री भीकमचंद अधिवक्ता हाजिरी..... मिनजानिब मुदई रू-बरू श्री ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम राणासर पटवार हल्का आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 248 रकबा 0.6500 हैक्टर, खसरा नम्बर 249 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 250 रकबा 0.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.5800 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 रकबा 1.1900 हैक्टर कुल खसरे 08 कुल रकबा 4.6100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 का क्रमशः 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे। राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )

आदेश का अभिन्न अंग समझा जावेगा। अंतिम डिक्ली पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। बंटवारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज ..... मुबलिंग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.....माह 03..... सन् 2025 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहदा  
कुचामन सिटी ( डीहवाना-कुचामन )

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना बकिल		
महन्ताना बकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीहवाना-कुचामन )